

[Type text]

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/फिजियो./ (एफ-1587/2024/ 123

दिनांक : 18/03/2024

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अंतर्गत निम्नांकित कार्मिकों को निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-33/फिजियो/सीधी भर्ती 2020/(एफ-एम 72/44)/2021/430 दिनांक 22.12.2021 द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। इनके द्वारा फिजियोथेरेपिस्ट पद पर दो वर्ष की परीक्षा अवधि (Probation Period) इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है। संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनका कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद बताये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत इनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 05 में उल्लेखित दिनांक से नियमित/स्थाईकरण करते हुये इन्हें परीक्षाकाल पूर्ण करने पर इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 07 में दर्शायी गयी तिथि से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. 15(1)एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित नोटिफिकेशन दिनांक 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में फिजियोथेरेपिस्ट पद की पे मैट्रिक्स एल-11 में न्यूनतम वेतन रूपये 37800/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	कार्य ग्रहण तिथि	परीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	2 वर्ष पश्चात परीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1	अंकिता बंसल फिजियोथेरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय, अलवर।	29.03.1990	27.12.2021	26.12.2023	27.12.2023
2	मनीष कुमार फिजियोथेरेपिस्ट	जिला चिकित्सालय, अलवर।	25.07.1992	31.12.2021	30.12.2023	31.12.2023
3	रवि प्रकाश मीना फिजियोथेरेपिस्ट	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	18.06.1989 RajKaj Ref 6191324	29.12.2021	28.12.2023	29.12.2023

[Type text]

4	हरेन्द्र सिंह गुर्जर फिजियोथेरेपिस्ट	राजकीय जिला चिकित्सालय, दौसा	21.01.1990	12.01.2022	14.02.2024	15.02.2024
---	---	---------------------------------	------------	------------	------------	------------

नोट:- क्र.सं. 4 पर अंकित कार्मिक का निदेशालय के आदेश क्रमांक 797 दिनांक 04.11.2022 के द्वारा 34 दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया था जिस कारण कार्मिक के परिवीक्षा काल अवधि में 34 दिवस की अभिवृद्धि की गई है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/फिजियो./ (एफ-1587/2024/ 123

दिनांक : 18/03/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित प्रशासनिक/नियंत्रण अधिकारी।
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
3. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,
राज. जयपुर

RajKaj Ref
6191324

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :18-03-2024 03:25:15